रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2006/माघ 17, 1927
No. 46] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2006/MAGHA 17, 1927

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 52(अ).— कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के परामर्श से बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है, और इसके द्वारा यह सूचना देती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से अंतर्विष्ट भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, 45 दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारुप नियमों की बाबत कोई सुझाव या आक्षेप, उक्त अवधि के अवसान से पूर्व, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए संयुक्त सचिव(पौध संरक्षण)कृषि मंत्रालय, (कृषि और सहकारिता विभाग)कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जा सकते हैं ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन)नियम 2006 है ।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है)में, नियम 2 के खंड (क) से (ध) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(क) "अधिनियम" से कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) अभिप्रेत है;

(ख) "वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण प्रचालन" से कीटनाशक को लगाया जाना या उसका विक्षेपण अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत घरों या सार्वजनिक या निजि परिसरों या किसी भूमि पर धूमक भी है और जिसमें नाशकजीव नियंत्रण प्रचालन सम्मिलित है जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वातीय रूप से लगाया जाना सम्मिलित है किंतु जिसमें उनका निजी उपयोग सम्मिलित नहीं है ;

(ग) " व्यौहारी" से कीटनाशियों के विक्रय का कारबार करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है चाहे थोक या फुटकर कारबार हो और जिसके अंतर्गत किसी व्यौहारी का कोई अभिकर्ता सम्मिलित है ;

(घ) "अवसान की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जो नाशक के आधान, लेबल या रैपर पर अवसान की तारीख स्तंभ के सामने उल्लिखित है ;

(ड) "प्ररुप" से पहले अनुसूची में उपवर्णित कोई प्ररुप अभिप्रेत है ;

(च) "प्रयोगशाला" से केन्द्रीय प्रयोगशाला अभिप्रेत है ;

(छ) "विनिर्माणकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो कीटनाशियों का विनिर्माण करता है और जिसमें कीटनाशियों का कोई विनिर्माता सम्मिलित है ;

(ज) "नाशकजीव" से कोई कीट, कृंतक, जीवकवक, खरपतवार और पौधे का कोई अन्य प्ररूप या प्राणी अभिप्रेत है जो मानव के लिए उपयोगी नहीं है ;

(झ) " कीटनाशी नियंत्रण प्रचालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कीटनाशी नियंत्रण प्रचालन करता है और जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म या कंपनी या संगठन सम्मिलित है जिसके नियंत्रणाधीन ऐसा कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है ;

(ञ) "प्राथमिक पैकेज" से कीटनाशियों वाला तुरंती पैकेज अभिप्रेत है ;

(ट) "प्रधान" से यथास्थिति कीटनाशी का आयातकर्ता या विनिर्माणकर्ता अभिप्रेत है ;

(ठ) "रजिस्ट्रीकरण" में अंनतिम रजिस्ट्रीकरण सम्मिलित है ;

(ड) "ग्रामीण क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी नगर निगम या नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति या किसी छावनी की सीमाओं के बाहर आता है ;

(ण) "द्वितीय पैकेज" से ऐसा पैकेज अभिप्रेत है जो न तो प्राथमिक पैकेज है और न ही परिवहन पैकेज ;

(त) " धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(थ) "परीक्षण सुविधा" से ऐसी प्रचालन संबंधी यूनिट अभिप्रेत है जहां प्रयोगात्मक अध्ययन चल रहा है या उत्पाद क्वालिटी पर आंकड़े प्रस्तुत करने के संबंध में चलाया

जा रहा है या कीटनाशी की सुरक्षा या प्रभावकारिता या अवशिष्ट या भंडारण के स्थायित्व पर चल रहा है या चलाया जा रहा है ;

(द) "परिवहन पैकेज" से कीटनाशी के परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे बाहरी पैकेज अभिप्रेत है ;

3. उक्त नियम के नियम 10ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10घ विनिर्माणकर्ता और व्यौहारी का कीटनाशियों के स्टाक और मूल्य सूची को प्रदर्शित करना - प्रत्येक विनिर्माणकर्ता और व्यौहारी जो किसी कीटनाशी का फुटकर विक्रयकर्ता है या फुटकर विक्रय की प्रस्थापना करता है, मुख्य रूप से अपने कारबार के स्थान पर निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा, --

(क) दैनिक आधार पर उसके द्वारा आधारित विभिन्न कीटनाशियों के स्टाक की मात्रा ; और

(ख) कारबार के ऐसे स्थान में तत्समय उपलबध ऐसे कीटनाशियों के मूल्य या दर की एक सूची। "

4. उक्त नियमों के नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा :-

" 15.कैश या प्रत्यय मैमो जारी करना और रजिस्टर, लेखा बहियां और अभिलेख बनाए रखना -

(1) कीटनाशियों के सभी विक्रय किसी विधि के अधीन विहित प्ररूप में किसी बिल या कैश मैमो या प्रत्यय मैमो के द्वारा किया जाएगा ।

(2) किसी अनुज्ञप्त विनिर्माता (विनिर्माता या पैकर) स्टाकिस्ट, वितरक व्यौहारी, फुटकर, क्रेता या किसी प्रपुंज उपभोक्ता को किए गए कीटनाशियों के सभी विक्रय कीटनाशीवार प्ररूप 13 में किसी रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे और वास्तविक उपभोक्ताओं के सभी विक्रयों की राज्यवार मासिक विवरणी अनुज्ञापन अधिकारी को प्ररूप 14 में सुसंगत मास के अंतिम 15 दिनों के भीतर भेजी जाएगी ।

(3) कीटनाशी का प्रत्येक आयातकर्ता या विनिर्माणकर्ता, तकनीकी श्रेणी के कीटनाशियों के लिए प्ररूप 15 में एक स्टाक रजिस्टर और प्ररूप 16 में विनिर्मित कीटनाशियों का स्टाक रजिस्टर रखेगा ।

(4) विनिर्माणकर्ता या आयातकर्ता एक लेखाबही और ऐसे विक्रय और विनिर्माण या तकनीकी श्रेणी के कीटनाशी के आयात और निर्मित कीटनाशी का रजिस्टर रखेगा और उसका मासिक विवरण या विवरणी अनुज्ञापन अधिकारी को क्रमशः प्ररूप 15क और 16ख में मास के अंत से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

(5) उपनियम (1) और उपनियम (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी लिखित में सूचना द्वारा किसी आयातकर्ता या किसी विनिर्माता या कीटनाशियों का व्यौहार करने वाला किसी अन्य व्यक्ति, सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे रजिस्टर, लेखेबहियां, अभिलेख, दस्तावेज या किसी कीटनाशी या उसके किसी बैच के संबंध में अन्य ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसके अंतर्गत ऐसे सभी व्यक्तियों की विशिष्टियां देगा जिसको इसका विक्रय या वितरण किया गया है, जैसा वह आवश्यक समझे, सम्मिलित है ।"

5. उक्त नियमों की पहली अनुसूची में, --

(i) प्ररूप 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" प्ररूप 15 क
(नियम 15 देखें)

..................से................अवधि के लिए आयातित/विनिर्मित तकनीकी श्रेणी के कीटनाशियों की वार्षिक विवरणी/विवरण

क्रम संख्या	कीटनाशी का नाम	बैंच सं0	अवसान की तारीख	आयातित/ विनिर्मित की कुल मात्रा* के ब्यौरे	विनिर्मिती के लिए उपयोग की गई मात्रा *	विक्रय की गई मात्रा, क्रेता का नाम, पता और अनुज्ञप्ति सं0	अंतिम बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8

* (मात्रा मीट्रिक टनों में)

सत्यापन

मैं.................इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर कथित मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास तथा अभिलेख से प्राप्त जानकारी पर आधारित विश्वास के अनुसार सही है । मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं...................(पदनाम)सही में इस विवरण को सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ ।

हस्ताक्षर................

नाम....................

मुद्रा.......................

(ii) प्ररूप 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा,

"प्ररूप 16 क
(नियम 15 देखें)

..................से.................तक की अवधि के लिए विनिर्मित कीटनाशी की मासिक विवरणी

क्रम संख्या	कीटनाशी का नाम	बैंच सं0	अवसान की तारीख	विनिर्माण में विनिर्मिती के लिए उपयोग के लिए तकनीकी श्रेणी के कीटनाशियों की कुल मात्रा* के ब्यौरे	कुल विनिर्मित मात्रा *
1	2	3	4	5	6

* (मात्रा मीट्रिक टनों में)

सत्यापन

मैं.................इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर कथित मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास तथा अभिलेख से प्राप्त जानकारी पर आधारित विश्वास के अनुसार सही है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं.. (पदनाम)सही में इस विवरण को सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

हस्ताक्षर................

नाम...................

मुद्रा.......................

[फा. सं. 20-30/2003-पी पी-1]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम सा०का०नि०सं० 1650 (अ) तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित और तत्पश्चात निम्न द्वारा **संशोधित किए गए :—**

(1) सा.का.नि.सं. 474(अ) तारीख 24 जुलाई, 1976
(2) सा.का.नि.सं. 736(अ) तारीख 9 दिसम्बर, 1977
(3) सा.का.नि.सं. 1064(अ) तारीख 7 नवम्बर, 1988
(4) सा.का.नि.सं. 533(अ) तारीख 6 अगस्त, 1993
(5) सा.का.नि.सं. 371(अ) तारीख 20 मई, 1999
(6) सा.का.नि.सं. 372(अ) तारीख 20 मई, 1999

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2006

G.S.R. 52(E).— The following draft of certain rules further to amend the Insecticides Rules, 1971 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) in consultation with the Central Insecticides Board, are hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty five days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any suggestion or objection in respect of the said draft rules may be forwarded before the expiry of the said period for consideration of the Central Government to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture, (Department of Agriculture and Cooperation), Krishi Bhavan, New Delhi-110001.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2006.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India. [to be specified in the final notification]

2. In the Insecticide Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for clauses (a) to (s), the following clauses shall be substituted, namely -

"(a) "Act" means the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968);

(b) "Commercial Pest Control Operation" means any application or dispersion of Insecticide including fumigants in household or public or private premises or land and includes pest control operations in the filed including aerial applications for commercial purposes but excludes private use;

(c) "dealer" means a person carrying on the business of selling insecticides, whether wholesale or retail, and includes an agent of a dealer;

(d) "expiry date" means the date that is mentioned on the container, label or wrapper of an insecticide against the column 'date of expiry';

(e) "Form" means a form set out in the First Schedule;
(f) "Laboratory" means the Central Insecticides Laboratory;
(g) "manufacturer" means any person who manufacturers insecticides and includes a formulator of the insecticides;
(h) "pests" means any insect, rodent, fungi, weed and other forms of plant or animal life not useful to human beings;
(i) "Pest Control Operator" means any person who undertakes pest control operations and includes the person or the firm or the company or the organisation under whose control such a person is operating;
(j) "primary package" means the immediate package containing the insecticides;
(k) "principal" means the importer or manufacturer of insecticides, as the case may be;
(l) "registration"' includes provisional registration;
(m) "rural area" means an area which falls outside the limits of any Municipal Corporation or Municipal Committee or a Notified Area Committee or a Cantonment;
(n) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;
(o) "'secondary package"' means a package which is neither a primary package nor a transportation package;
(p) "section" means a section of the Act;
(q) "testing facility" means an operational unit where the experimental studies are being carried out or have been carried out in relation to submission of data on product quality or on safety or on efficacy or on residues or on stability in storage of the insecticides for which an application for registration is made;
(r) "transportation package" means the outer most package used for transportation of insecticides."

3. After rule 10C of the said rules the following rules shall be inserted, namely :-

"10D **Manufacturer and dealer to display stock and price list of insecticides**. - Every manufacturer and every dealer who makes or offers to make a retail sale of any insecticide shall prominently display in his place of business, -

(a) the quantities of stock of different insecticides held by him on daily basis; and
(b) a list of prices or rates of such insecticides for the time being available in such place of business."

4. For rule 15 of the said rules, the following rules shall be substituted namely :-

"15. **Issuing cash or credit memo and maintenance of register, books of accounts and records**.- (1) All sales of insecticides shall be made by a bill or cash memo or credit memo in the form prescribed under any law.

(2) All sales of insecticides made to a licensed manufacturer (formulator or packer), stockist, distributor, dealer, retailer or to a bulk consumer shall be entered insecticide wise, in a register in Form XIII and a Statewise monthly return of all sales to actual consumers shall be sent to the licensing officer, in Form XIV within 15 days from the close of the relevant month.

(3) Every importer or manufacturer of insecticide shall maintain a stock register in Form XV for technical grade insecticides and in Form XVI for formulated insecticides.

(4) Every manufacturer or importer shall maintain a books of accounts and register of such sale, manufacture or import of technical Grade Insecticide and formulated Insecticide and submit the monthly statement or return to the licensing officer, in Form XV A and XVI A respectively within 15 days from the closing of the month.

(5) Without prejudice to the provisions of sub-rules (1) & (4), the Central Government or the State Government or any other person authorized by the Central Government or the State Government, as the case may be, may, by notice in writing require any importer or manufacturer or any other person dealing in insecticides or furnish within the time specified in the notice, such registers, books of accounts, records, documents or other such information with respect to any insecticides or any batch thereof, including the particulars of all persons to whom it has been sold or distributed, as it may consider necessary."

5. In the First Schedule to the said rules,-

(i) after Form XV, the following Form shall be inserted, namely :-

"Form XV A
(See rule 15)

MONTHLY RETURN/STATEMENT OF TECHNICAL GRADE INSECTICIDES IMPORTED/MANUFACTURED FOR THE PERIOD FROM .... TO ....

Serial number	Name of the Insecticide	Batch No.	Date of expiry	Details of total quantity* imported/ manufactured	Quantity* utilized for formulations	Quantity* sold Name and address and licence number of purchaser	Closing balance
1	2	3	4	5	6	7	8

*** (Quantity in metric tonnes)**

VERIFICATION

I....................do hereby verify that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief based on in formation derived from the records. I further declare that I am competent to and verify this statement in my capacity as.........................(Designation).

Signature.......................

Name...........................

Seal.............................. ";

(ii) after Form XVI, the following Form shall be inserted, namely :-

"Form XVI A
(See rule 15)

MONTHLY RETURN/STATEMENT OF FORMULATED INSECTICIDE FOR THE PERIOD FROM .... TO ....

Serial number	Name of the Insecticide formulation	Batch No.	Date of expiry	Details of total quantity* of technical grade insecticide used for formulation	Total formulated Quantity*
1	2	3	4	5	6

***(Quantity in metric tonnes)**

VERIFICATION

I....................do hereby verify that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief based on in formation derived from the records. I further declare that I am competent to and verify this statement in my capacity as.........................(Designation).

Signature.......................

Name...........................

Seal.............................".

[F. No. 20-30/2003-PP-1]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

327 GI/2006-3

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, *vide* no. G.S.R. 1650, dated 19th October, 1971 and subsequently amended *vide*:-

(1) G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
(2) G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
(3) G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
(4) G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,
(5) G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999, and
(6) G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.